न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/33/2020

अपीलार्थीः–
श्री ओम प्रकाश गुप्ता 704 वण्डर हाईट, मालवीय नगर अलवर, जिला अलवर।

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 22.09.2020

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 5.03.20 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 13.07.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. कोराना वायरस (Covid-19) वैश्विक महामारी से संक्रमण के मध्येनजर उक्त बीमारी के फैलाव की रोकथाम में अतिव्यस्तता के कारण पत्रावली का आज अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 747 दिनांक 24.06.20 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 15.01.20 को लोक सूचना अधिकारी, कलैक्ट्रेट अलवर को प्रस्तुत किया गया, संबंधित वांछित सूचना संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर पत्रांक 460 दिनांक 12.3.20 एवं पत्रांक 722 दिनांक 19.6.20 के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, वांछित सूचना विस्तृत लोकहित में नहीं होने के कारण उपलब्ध कराई जाना संभव नहीं है।
6. अपीलार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वांछित सूचना अपीलार्थी अपनी फर्म मैसर्स मॉ संतोषी ग्रिट उघोग में जारी संपरिवर्तन आदेश जो अपीलार्थी की फर्म की फाईल पर उपलब्ध है। दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति दिये जानू में किसी अन्य पक्ष का किसी प्रकार का अहित नहीं है। अतः वांछित सूचना दिलाये जावें।
7. प्रकरण के परीक्षणोपरान्त जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 5.3.20 के माध्यम से स्वयं से संबंधित पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात की सूचना चाही गई है, जिससे सूचना जारी किये जाने में किसी प्रकार की गोपनीयता प्रभावित नहीं होती है। अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करावें।
8. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
9. निर्णय आज **दिनांक 22.09.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)